सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराएं श्रमिक

लखनऊ। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने पोर्टल www.upssb.in शुरू किया है। अपर श्रम आयुक्त बीके राय ने कहा कि अगर 18 से 60 वर्ष तक की आयु के श्रमिक विभागीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वह इस पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराएं।

असंगठित श्रमिकों के लिए उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का पोर्टल शुरू

राय ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पतालों व बोर्ड द्वारा चुने गए अस्पतालों में पांच लाख रुपये की सीमा तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी प्रकार की दुर्घटना में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में 50 हजार रुपये, 50 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख और पूर्ण शारीरिक अक्षमता दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख या एक पैर एक आंख की क्षति हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा श्रमिक के आश्रित को दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इन योजनाओं में शामिल होने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन, किसी जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी के माध्यम से कराया जा सकता है। ब्यूरो